न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 208/2023

उनवान

मु. मंजू पत्नी लालाराम गुर्जर निवासी मालीखेड़ा तहसील फुलिया कलां हाल निवासी ब्रह्मपुरी कॉलोनी, सेक्टर बी– शाहपुरा

– प्रार्थिया

बनाम

1– मीठू, गोपाल, ओनाड़ पिता मगना गुर्जर निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा

4– रामकिशन पुत्र लादूलाल वैष्णव निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा

5– डूंगरसिंह उर्फ डूंगा पुत्र देवा बंजारा निवासी संतोषपुरा तहसील शाहपुरा

6– रामप्रसाद पुत्र ओनाड़ जाट निवासी रायनगर, बालापुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री लालाराम गुर्जर
अधिवक्ता प्रार्थिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 04/10/2023

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **रहड़ पटवार हल्का रहड़** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1103 रकबा 0.51 है0** कुल किता 1 रकबा 0.51 हैक्टेयर की **प्रार्थिया खातेदार** काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के **विपक्षीगण** पड़ौसी है। **प्रार्थिया** एवं **विपक्षीगण** के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण** बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक **प्रार्थिया** सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम रहड़ पटवार हल्का रहड़ संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थिया के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः **प्रार्थिया** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **रहड़** में स्थित **प्रार्थिया** की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् **किता 1 रकबा 0.51 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो **प्रार्थिया** से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **04/10/2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा